फार्म नं. आईएनसी-26

कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

इनफिनिट टेकडेटा लिमिटेड के पंजीद्धत कार्यालय को

''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित करना

केन्द्र सरकार

माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

इनफिनिट टेकडेटा लिमिटेड जिसका पंजीद्धत कार्यालय 155, सोमदत्त चैम्बर्स-2, 9, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066, सीआईएन:U72900DL2015PLC283002 में है, के मामले में

.....आवेदक कंपनी

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीद्धत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के क्षेत्राधिकार के भीतर हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम में संशोधन की पुष्ठि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार (माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को प्रदत्त अधिकार) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीद्धत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह **निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीद्धत डाक द्वारा माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीद्धत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

155, सोमदत्त चैम्बर्स-2, 9, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066

कृते आवेदक कंपनी
इनफिनिट टेकडेटा लिमिटेड की ओर से
हस्ता./-
संजीव गुलाटी
निदेशक
DIN: 00031711

तिथि: 14 अक्टूबर, 2023
स्थान: दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26

कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

इनफिनिट टेक वेन्चर्स लिमिटेड के पंजीद्धत कार्यालय को

''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित करना

केन्द्र सरकार

माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

इनफिनिट टेक वेन्चर्स लिमिटेड जिसका पंजीद्धत कार्यालय 155, सोमदत्त चैम्बर्स-2, 9, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066, सीआईएन: U72900DL2015PLC288069 में है, के मामले में

.....आवेदक कंपनी

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीद्धत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कंपनी पंजीयक, दिल्ली एवं हरियाणा के क्षेत्राधिकार के भीतर हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम में संशोधन की पुष्ठि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार (माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को प्रदत्त अधिकार) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीद्धत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह **निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीद्धत डाक द्वारा माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीद्धत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

155, सोमदत्त चैम्बर्स-2, 9, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066

कृते आवेदक कंपनी
इनफिनिट टेक वेन्चर्स लिमिटेड की ओर से
हस्ता./-
संजीव गुलाटी
निदेशक
DIN: 00031711

तिथि: 14 अक्टूबर, 2023
स्थान: दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 अद्यतन संशोधित के नियम 41 के मामले में

तथा

एलेन ऑटो इंडिया लिमिटेड, CIN: U35999HR2010PLC040313 जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं-24, सेक्टर-25, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 में है, के मामले में

.....याचिकाकर्ता (आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 28 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं-24, सेक्टर-25, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, 2 रा तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृते एवं के लिये, आवेदक
एलेन ऑटो इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
रुपिन्दर हरीश
निदेशक
DIN: 07352489

स्थानः हरियाणा
तिथि : 14.10.2023

प्रकाशन के लिये सूचना

ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण

अपार्टमेन्ट नं. 318, तीसरा तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021

मिस. अपील नं. 48/2023, एसए. 756/2022 (डीआरटी-जयपुर) में

स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया **अपीलकर्ता**

बनाम

मै. देवी कन्स्ट्रक्शन्स कम्पनी एवं अन्य **प्रतिवादी**

1.	**मै. देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,** प्लॉट नं. 119, आनंदनगर, सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर-302012, राजस्थान	**प्रतिवादी 1**
2.	**श्री अभिजीत यादव,** प्लॉट नं. 119, आनंदनगर, सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर-302012, राजस्थान	**प्रतिवादी 2**

जैसा कि उक्त मामले में डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आवेदक द्वारा 14.3.2023 को एक अपील प्रस्तुत की गयी है तथा उसे इस अधिकरण में पंजीकृत किया गया है। मामले को इस अधिकरण के समक्ष 10.7.203 को सूचीबद्ध किया गया था।

जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये सिद्ध हो चुका है कि सामान्य तरीके से आपको नोटिस सर्व करना संभव नहीं है, अतः विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आप 03.11.2023 को इस अधिकरण में उपस्थित हों।

जैसा कि ध्यान रहे कि ऊपर वर्णित दिन को आपकी उपस्थिति में चूक करने पर मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 18 जुलाई, 2023 को दिया गया।

अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार

प्रपत्र-'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
नोएडा, उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट में परिचालन

(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के विनियमन 36ए के उप-विनियमन (1) के तहत(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016

प्रासंगिक विवरण

1.	**कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.**	**लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पैन :** AABCL4533H **सीआईएन:** U72200DL2008PTC172835
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	लेवल 3, वसंत स्क्वायर मॉल, पॉकेट वी, सेक्टर बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 (रखरखाव नहीं)
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://logixinfrastructure.in/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	ब्लॉसम काउंटी, प्लॉट नंबर 2, सैक्टर 137, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201305
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित क्षमता	कॉर्पोरेट देनदार एक आवासीय परियोजना के निर्माण में लगा हुआ है। कुल 2384 आवासीय इकाइयों और 8 दुकानों का निर्माण किया गया। प्राप्त विवरण / सूचना के अनुसार सभी इकाइयों सीआईआरपी प्रारंभ होने से पहले बुक / बेची गईं।
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य / पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, परिचालन से राजस्व 122.65 करोड़ रुपये था।
7.	कर्मचारियों / कामगार की संख्या	एक
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (शेड्यूल के साथ), लेनदारों की सूची सहित अधिक विवरण यूआरएल पर उपलब्ध हैं:	**https://logixinfrastructure.in/**
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध है:	**https://logixinfrastructure.in/**
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	**30 अक्टूबर 2023**
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	**09 नवंबर 2023**
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**14 नवंबर 2023**
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	**24 नवंबर 2023**
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	**25 नवंबर 2023**
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	**26 दिसंबर 2023**
16.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	**cirp.logixinfrastructure@gmail.com**

तिथि : 14.10.2023
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-
पवन कुमार गोयल
समाधान प्रोफेशनल, लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-18/11473
(असाइनमेंट के लिए प्राधिकरण 24 / 11 / 2023 तक वैध है)
कार्यालय: 304, डी आर चैंबर, 12 / 56, डी बी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
ईमेल: cirp.logixinfrastructure@gmail.com, ca.pawangoyal@gmail.com

फार्म नं. आईएनसी-26

कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

इनफिनिट टेकमाइंड लिमिटेड के पंजीद्धत कार्यालय को

''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से **''हरियाणा राज्य''** में स्थानांतरित करना

केन्द्र सरकार

माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

इनफिनिट टेकमाइंड लिमिटेड जिसका पंजीद्धत कार्यालय 155, सोमदत्त चैम्बर्स-2, 9, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066, सीआईएन: U72300DL2015PLC280131 में है, के मामले में

.....आवेदक कंपनी

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीद्धत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कंपनी पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के क्षेत्राधिकार के भीतर हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम में संशोधन की पुष्ठि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार (माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को प्रदत्त अधिकार) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीद्धत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह **निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीद्धत डाक द्वारा माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीद्धत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

155, सोमदत्त चैम्बर्स-2, 9, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली-110066

कृते आवेदक कंपनी
इनफिनिट टेकमाइंड लिमिटेड की ओर से
हस्ता./-
संजीव गुलाटी
निदेशक
DIN: 00031711

तिथि: 14 अक्टूबर, 2023
स्थान: दिल्ली

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
दूरभाष : 011-49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ईमेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन नं. : यू65192डीएल2016पीएलसी30148
संपर्क पता : बिल्डिंग नं. 27, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न अंकितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राषि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निम्न संदर्भित एक राषि तथा निम्न अंकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज और दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना के अनुसार राशि	अधिग्रहण की तिथि (रचनागत/भौतिक)
HHFDELHOU 19000001445	नरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश	19-07-2023, रु. 29,47,924/- दिनांक 18-07-2023 के अनुसार	12-10-2023 (सांकेतिक)

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : निर्मित द्वितीय तल, पीछे की ओर, छत/टेरेस अधिकारों के बिना, क्षेत्र माप 80 वर्ग गज (66.89 वर्ग मीटर), उपरोक्त निर्मित संपत्ति भूखंड सं. 18-ए में से, खसरा सं. 16/4 एवं 16/7 में से, ग्राम मटियाला की राजस्व संपदा, दिल्ली राज्य दिल्ली में गुरू हरकिशन नगर के रूप में विदित कॉलोनी, मटियाला एक्स., उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित, पालीगत आधार पर उक्त संपत्ति के आम पार्किंग स्थल पर एक छोटी हैचबैक कार पार्किंग के अधिकारों के साथ, भूमि के निम्न हिस्से में अविभाजित, अविभाज्य एवं अविभाजनयोग्य समानुपातिक स्वामित्वधारक अधिकारों के साथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर- लेन 10 फुट चौड़ी, पूर्व- अन्य का भूखंड, दक्षिण- सड़क 20 फुट चौड़ी, पश्चिम- लेन 10 फुट चौड़ी।

दिनांक : 14-10-2023
स्थान : दिल्ली

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 2401, जन. थिमैय्या रोड (कैन्टोन्मेंट), पुणे -411 001
उपभोक्ता वित्त प्रभाग : नवीन सं. 34, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई - 600 017
राज्य कार्यालय : यूजी 14, 15, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्किट, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018

अधिग्रहण सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त नियमावली) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/गारंटरों को निर्गत की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता(गण) उक्तावधि के अंदर भावी ब्याज के साथ निर्धारित उक्त बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें निम्न तालिका में उधारकर्ताओं/गारंटरों के नामों के समक्ष अंकित तिथियों पर, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। उक्त संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, उधारकर्ताओं के समक्ष अंकित राशियों तथा इन राशियों पर नियत आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों तथा ब्याज हेतु मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम, ऋण अनुबंध सं.	मांग सूचना तिथि / अधिग्रहण तिथि	बकाया राशि
1.	**उधारकर्ता :** (1) श्री घनश्याम सिंह, द्वारा शैतान सिंह **सह-उधारकर्तागण :** श्रीमती पूजा कंवर, द्वारा महावीर सिंह, **ऋण अनुबंध सं.: RJA05153M**	06-03-2023 / **अधिग्रहण तिथि** 10-10-2023	रु. **42,31,010.02/-** (रुपये बयालिस लाख इकतीस हजार दस एवं दो पैसे मात्र) 20-02-2022 के अनुसार

बंधककृत संपत्ति का विवरण : पट्टा संख्या 379 पर अवस्थित भूमि एवं भवन के समस्त भाग तथा अंश, जो ग्राम-गरेड़ी चाचा ग्राम पंचायत-गरेड़ी चाचा, पंचायत समिति-देगाना, जनपद नागौर, राजस्थान में स्थित है, जिसका अधिमापन 1333 वर्ग फुट है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर- रास्ता एवं निकल, दक्षिण- रास्ता एवं निकल, पूर्व- कृष्णा करवा की भूमि, पश्चिम- द्वारका प्रसाद, तारा चंद, कृष्णा करवा की भूमि। जो उससे संबद्ध फर्नीचर, फिक्सचर्स के साथ उक्त स्थल पर निर्मित भवन के साथ है।

दिनांक : 10-10-2023
स्थान : अजमेर

कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड
(प्राधिकृत अधिकारी)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्त्ता/जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060119731713 व L9001061121889564 **गुरूजी एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड जरिए डाईरेक्टर श्रीमती पार्वती देवी व चन्दन कुमार (ऋणी)**, शौर्या कुमार भगत (सह-ऋणी), श्रीमती पार्वती देवी (सह-ऋणी)	14 जुलाई 2023 ₹ 1226330/- रु. बारह लाख छब्बीस हजार तीन सौ तीस मात्र व ₹ 211126/- रु. दो लाख ग्यारह हजार एक सौ छब्बीस मात्र 11 जुलाई 2023	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 17/5, गांव-छिपिया खुर्द तिगरी परगना, तहसील - दादरी, जिला - गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 70 वर्ग गज,** पूर्व : अन्य प्लॉट, पश्चिम : रोड, उत्तर : लखन का प्लॉट, दक्षिण : केशव का प्लॉट	09 अक्टूबर 2023
ऋण खाता सं.: L9001060127114762 व L9001060831417372 **राधे श्याम (ऋणी)**, प्रदीप सिंह (सह-ऋणी)	14 जुलाई 2023 ₹ 1527042/- रु. पंद्रह लाख सताइस हजार बयालीस मात्र व ₹ 525178/- रु. पांच लाख पच्चीस हजार एक सौ अठहत्तर मात्र 11 जुलाई 2023	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित मकान नं. 428 408, मोहल्ला जाटवाड़ा, सब्जी मण्डी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 77.85 वर्ग मीटर**	09 अक्टूबर 2023
ऋण खाता सं.: L9001060126456950 **राम कुमार (ऋणी)**, श्रीमती दया (सह-ऋणी)	14 जुलाई 2023 ₹ 1603712/- रु. सोलह लाख तीन हजार सात सौ बारह मात्र 11 जुलाई 2023	(1) सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित गांव - तुगलकपुर, हल्डोना, परगना - धांकौर, तह. व जिला - गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 74.80 वर्ग गज,** पूर्व : बंसल की सम्पत्ति, पश्चिम : खेमचन्द की सम्पत्ति, उत्तर : अहमद की सम्पत्ति, दक्षिण : गली नं. 4 (2) सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित गांव - तुगलकपुर, हल्डोना, परगना - धांकौर, तह. व जिला - गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 112.75 वर्ग गज,** पूर्व : मोमराज की सम्पत्ति, पश्चिम : रोड, उत्तर : छत्र सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण : सोनू की सम्पत्ति	09 अक्टूबर 2023
ऋण खाता सं.: L9001060125672426 **जिया राधे कृपा प्रोडक्ट्स जरिए प्रोपराइटर अंजु (ऋणी)**, अमन (सह-ऋणी), श्रीमती सीमा (सह-ऋणी), अंजु (सह-ऋणी), राम दुलारे (सह-ऋणी)	11 नवम्बर 2022 ₹ 1229548/- रु. बारह लाख उनतीस हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र 10 नवम्बर 2022	सम्पति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित खेवत/खाता नं. 533, कुस्तकिल नं. 112, किला नं. 3/1(4-0), 3/2(3-4), 4/1(5-4), 7(5-15), 8/1(3-4), 8/2(2-13), 13(3-4), 14(5-16), 17/2/1(5-3), 18/2(3-3), 19/1/1(2-12), सदथरना, तह. हरसरु, व जिला - गुड़गांव, हरियाणा **क्षेत्रफल 75 वर्ग गज,** पूर्व : अजय भानू की सम्पत्ति, पश्चिम : पिंकी की सम्पत्ति, उत्तर : अजय भानू की सम्पत्ति, दक्षिण : रास्ता	12 अक्टूबर 2023

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली **दिनांक: 13-अक्टूबर-2023** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L65910DL1990PLC040705
पंजीकृत कार्यालय: 4 एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट गीतांजलि नई दिल्ली - 110 017
फ़ोन नंबर: +91 11 4218 1244
वेबसाइट: www.geneticsfinance.net; **ई-मेल:** genesis599@gmail.com

पोस्टल बैलट की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रश